संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / अराज. / 2018 / 365 रायपुर,दिनांक 22 JAN 2018

-: आदेश :-

विभागीय चयन समिति द्वारा प्रावीण्यता के आधार पर चयनित **श्रीमती निधि टुरहाटे,** पति–श्री सचिन टुरहाटे, पता–पुराना ढाबा बार्ड नं.–04, राजनांदगांव, पो.–बजरंगपुर नवागांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) की प्रवर्ग अनुसूचित जाति में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंचकर्म सहायक (महिला) के पद पर वेतन मेट्रिक्स 19500–62000 (लेवल–4) एवं प्रचलित महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नीचे उल्लेखित शर्तों पर दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाती है तथा इनकी पदस्थापना (दुर्ग संभाग अंतर्गत) आयुष विंग जिला चिकित्सालय कबीरधाम, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में की जाती है ।

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा छ.ग. शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्ध स्थाई) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसके अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
3. उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वयमेंव निरस्त माना जावेगा।
4. उम्मीदवार को उपस्थिति के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त अंकसूची / प्रमाण–पत्र, आयु की पुष्टि हेतु हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी की अंकसूची / प्रमाण–पत्र छत्तीसगढ़ मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण–पत्रों के अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं होगी। मूल प्रमाण पत्रों के साथ उसकी एक–एक सुस्पष्ट पठनीय छायाप्रति भी प्रस्तुत की जावे। छायाप्रतियों के सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र तत्काल वापस कर दिये जावेंगे।

5. चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

6. चयनित उम्मीदवार को आदेश ज़ारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थापना जिले के जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति मान्य किए जाने के उपरांत उन्हे उनके पदस्थापना स्थान में उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय को अनिवार्यतः दी जावे ।

3/ चल–अचल सम्पत्ति का विवरण नियमानुसार जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4/ वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जाकर वरिष्ठता पदक्रम सूची में दर्शाई जावेगी ।

5/ नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

(डॉ.जी.एस.बदेशा)
संचालक,
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक 1/स्था./अराज./2018/ रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम (छ.ग.) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की उपस्थिति मान्य करने के पूर्व बिन्दु–2 की कंडिका 4 में उल्लेखित समस्त मूल अभिलेखों का आप स्वयं अवलोकन कर छायाप्रतियां सत्यापित कर कार्यालय रिकार्ड हेतु रखें तथा उपस्थिति से अवगत करावें ।
3. सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय कबीरधाम (छ.ग.)।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. **श्रीमती निधि टुरहाटे,** पति–श्री सचिन टुरहाटे, पता–पुराना ढाबा बार्ड नं.–04, राजनांदगांव, पो.–बजरंगपुर नवागांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।
6. आदेश फाईल ।

संचालक,
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
छत्तीसगढ़

E:\A.patrit\Order\Order 2018\Order-2